न्यायालय सहायक कलेक्टर भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी – अवधेश मीना आई.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या–43/2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. द्रोपा कंवर पुत्री सोनसिह पत्नी विजय सिह, राजपूत निवासी जुजांणी हाल ससुराल धानता, तहसील सांचोर 2. जडाव कंवर पुत्री सोनसिह पत्नी पूरसिह, राजपूत निवासी जुजांणी हाल ससुराल सुराणा, तहसील सायला		1. स्व. लक्ष्मणसिह पुत्र सोनसिह के कायम मुकामः– 1/1. मफरी कंवर पत्नी लक्ष्मणसिह, जाति राजपूत जुजाणी 1/2. सन्ती कंवर पुत्री लक्ष्मणसिह पत्नी किशोरसिह जाति राजपूत, निवासी जुजांणी हाल ससुराल राह, तहसील बागोडा 2. भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल

दावा बाबत खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांकः** 23.12.2019

वादीगण की ओर से उक्त दावा बाबत खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत रा 88 व 188 राजस्थान काश्तकरी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसके संक्षेप में थ्य इस प्रकार है कि स्व. सोनसिह पुत्र नाथुसिह राजपूत, निवासी जुजांणी के दीगण जांयदा पुत्रियां है तथा स्व. लक्ष्मणसिह वादीगण का सगा भाई था, प्रतिवादी /1 स्व. लक्ष्मणसिह की पत्नी व प्रतिवादी संख्या 1/2 उसकी पुत्री है। जिसका जरा भी उल्लेख किया गया है। सरहद मौजा जुजांणी में पुराने खसरा नंबर 17, सरा नंबर 1244 की भूमि स्थित थी, उक्त भूमि प्रथम सेटलमेंट में वादीगण के पिता नाम दर्ज हुई। वादीगण के पिता सोनसिह का देहांत होने के पश्चात उपरोक्त भूमि र मौके पर कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी 1 स्व. लक्ष्मणसिह का बहिस्सा बराबर तराधिकारी के रूप मे होने से मौके पर कब्जा काश्त हो गया। सोनसिह की मुत्यु के श्चात् 2/3 हिस्से पर वादीगण का व 1/3 हिस्से पर लक्ष्मणसिह का कब्जा काश्त ा और लक्ष्मणसिह के फौत होने पर उनके वारिशन प्रतिवादी 1/1 व 1/2 का र्तमान में 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त है। नवीन भू–प्रबंध के दौरान नवीन खसरा बर 20, 1804,1807,1808,1809 कुल रकबा 6.82 है. सृजित हुए। स्व. सोनसिह के वर्गवास के पश्चात सोनसिह का फौतगी नामान्तरकरण खोला गया, जिसमे मात्र ादीगण के भाई प्रतिवादी संख्या 1 अकेले का नाम खोला गया, जो गलत तरीके से ोला गया। जबकि हिन्दु उपराधिकारी अधिनियम के तहत वादीगण जो की स्व. ोनसिह की जांयदा पुत्रियों के नाम से भी खातेदारी दर्ज करनी आवश्यक थी। मगर सा न करके तत्कालीन पटवारी हल्का ने भयंकर भारी भूल की, जबकि फौतगी ामान्तरकरण में वादीगण का नाम दर्ज करना आवश्यक था। वादीगण का 2/3 हिस्सा पर आज भी मौके पर पुस्तैनी रूप से कब्जा काश्त वादीगण का व प्रतिवादी ंख्या 1 का सामलाती रूप से चला आ रहा है। उक्त संपूर्ण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता स्व. सोनसिह के नाम सेटलमेंट के वक्त दर्ज हुई और उनके स्वर्गवास के उपरांत बहैसियत उतराधिकारी के तौर पर 2/3 हिस्से मे वादीगण का एवं 1/3 हिस्से में प्रतिवादी 1 का कब्जाकाश्त मौके पर निरंतर रूप से चला आ रहा है। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादी 2/3 हिस्से की खातेदारी पाने के अधिकारी है। अतएवं सरहद मौजा जुजाणी के वर्तमान वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 20, 1804,1807,1808,1809 कुल रकबा 6.82 है. में वादीगण को 2/3 हिस्से के खातेदार घोषित किए जावे एवं उक्त खातेदारी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी 1 के सादिर फरमाई जावे। एवं माफिक इस्तदुआ स्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे।

प्रतिवादी 1/1 व 1/2 ने जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रथम बंदोबस्त मे स्व. सोनसिह के नाम दर्ज हुई थी तथा स्व. सोनसिह का

भीनमाल

Scanned by CamScanner

स्वर्गवास होने के बाद उक्त वादग्रस्त आराजी पर मौके पर वादीगण का कब्जाकाश्त कभी भी नही रहा, न आज भी मौके पर कब्जाकाश्त है। स्व. सोनसिह के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 के पिता लक्ष्मणसिह का अकेले का कब्जाकाश्त लक्ष्मणसिह के फौत होने तक रहा तथा उसके बाद वर्तमान में मौके पर कब्जाकाश्त प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 का है। वादीगण का कभी भी कब्जाकाश्त नही रहा स्व. सोनसिह के स्वर्गवास के उपरांत सोनसिह का फौतगी नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 स्व. लक्ष्मणसिह के नाम से सही खोला गया है। क्योंकि हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्व. सोनसिह के एक पुत्र के नाते स्व. लक्ष्मणसिह को सोनसिह के जीतेजी वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से के हकदार थे तथा स्व. सोनसिह की मृत्यु के बाद शेष आधे हिस्से का हकदार स्व. लक्ष्मणसिह ही था। स्व. सोनसिह के स्वर्गवास के पूर्व ही वादीगण की शादी हो गई थी तथा वो अपने ससुराल में रह रही थी, जो स्व. सोनसिह के मृत्यु के समय वादीगण स्व. सोनसिह के परिवार की सदस्य नही थी तथा अपने ससुराल में निवासी करती थी एवं सन् 2005 में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम में संशोधन के पहले पुत्री को पैतृक भूमि कोई कानूनन हक व अधिकार नही था। जिससे पटवारी हल्का द्वारा स्व. लक्ष्मणसिह का अकेले का स्व. सोनसिह की मृत्यु के बाद कानूनी रूप से सही नामान्तरकरण भरा गया है। तथा वादीगण का पैतृक भूमि में कोई अधिकार व हक नही होने से स्व. सोनसिह के मृत्यु के बाद कोई हक या अधिकार पाने की हकदार नही थी। अतएवं वादीगण वादग्रस्त आराजी में 2/3 हिस्से की कानुनन खातेदारी प्राप्त करने की हकदार नही है एवं न ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

वादीगण के ओर से प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाबदावें का जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि प्रतिवादीगण ने जानबुझ कर सही तथ्यों को छुपाया है, जबकि स्व. सोनसिह पुत्र नाथूसिह के तीन वारिशदार है, जिसमें से वादीगण द्रोपा कंवर व जडाव कंवर जीवित है, जो प्रथम श्रेणी की वारिशदार है व लक्ष्मणसिह भी फौत हो चुका है, जिसके वारिशदार प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 है। जिस प्रकार से सन्ती कंवर अपने पिता लक्ष्मणसिह की संपत्ति में हक रखती है। उसी प्रकार से स्व. सोनसिह की कृषि भूमि बतौर उतराधिकारी की हैसियत से वादीगण द्रोपाकंवार व वादीगण जडाव कंवर हक रखती है। और अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त करने की हकदार है। इस प्रकार मौजा जुजाणी के वादग्रस्त आराजी खसरा नंबरान में 2/3 हिस्से की खातेदारी स्व. सोनसिह की जायंदा पुत्रियों की हैसितय से वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करने व नही कराने तथा उक्त भूमि का बेचान नही करने की स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादीगण ने वाद के साथ दस्तावेजी प्रमाण में जमाबंदी सवंत 2011 से 2029 प्रदर्श–1, जमाबंदी सवंत 2024 से 2022 प्रदर्श–2,जमाबंदी सवंत 2028 से 2031 प्रदर्श–3, जमाबंदी सवंत 2031 से 2034 प्रदर्श–4, जमाबंदी सवंत 2035 से 2038 प्रदर्श–5, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6 मिसल बंदोबस्त प्रदर्श–8,जमाबंदी सवंत 01.07.1989 से 30.06.2009 प्रदर्श–7, जमाबंदी सवंत 2056 से 2059 प्रदर्श–8, जमाबंदी सवंत 2060 से 2063 प्रदर्श–9, जमाबंदी सवंत 2064 से 2067 प्रदर्श–10, जमाबंदी सवंत 2068 से 2071 प्रदर्श–11, जमाबंदी सवंत 2020 से 2023 प्रदर्श–12, पुरानी जमाबंदी सवंत 2020 से 2023 प्रदर्श–13, जमाबंदी सवंत 2020 से पूर्व की प्रदर्श–14, नामान्तरकरण संख्या 257 प्रदर्श–15, पुरानी जमाबंदी सवंत 2024 से 2027 प्रदर्श–16, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श–17 तथा मौखित साक्ष्य में साक्ष्य शपथ पत्र द्रोपा कंवर PW–1, जडाव कंवर PW–2, रूकनसिह PW–3, बलवंतसिह PW–1, किशोरसिह PW–5 के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये तथा प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नही हुए मौखिक साक्ष्य में मफरी कंवर DW–1, सन्ती कंवर DW–2 व भवसिह DW–3, जालमसिह DW–4 के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये।

मामले में दावे, जवाबदावें व दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

तनकी नंबर–1 आया वादीगण स्व. सोनसिह पुत्र नाथूसिह की पुत्रियां है, जो उतराधिकारी वारिश है। तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 20,1804,1807,1808,1809

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 6.82 है. भूमि वादीगण की पुस्तैनी है, जिसमे से वादीगण स्व. सोनसिह की पुत्रियां होने से 2/3 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने की हकदार है–जिम्मेवादीगण

तनकी नंबर–2 आया वादग्रस्त भूमि में वादीगण का स्व. सोनसिह की वारिश की हैसियत से 2/3 हिस्से में व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्से में कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादीगण के 2/3 हिस्से से मौके से बेदखल करने से प्रतिवादी संख्या 1 आमादा है, जिससे वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है– जिम्मेवादीगण

तनकी नंबर–3 आया वादग्रस्त भूमि के खातेदार सोनसिह की मृत्यु के समय वादीगण उनके परिवार के सदस्य नही थी, हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम 2005 में संशोधन के पहले पुत्री को पैतृक भूमि में कोई कानूनी हक व अधिकार नही था–

जिम्मेप्रतिवादी

तनकी नंबर–4 आया वादग्रस्त आराजी के खातेदार सोनसिह के स्वर्गवास के बाद लक्ष्मणसिह के नामान्तरकरण की जानकारी वादीगण को थी, परन्तु वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 को परेशान करने के लिए वाद पेश किया हैं, जो म्याद बाहर है– जिम्मेप्रतिवादी।

तनकी नंबर–5 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रोविजन के अनुसार स्व. सोनसिह के एक पुत्र के नाते सोनसिह के जीतेजी लक्ष्मणसिह आधे हिस्से का हकदार होने से तथा स्व. सोनसिह के स्वर्गवास के बाद स्व. लक्ष्मणसिह शेष आधे हिस्से के हकदार होने से वादीगण का कोई हक व अधिकार नही बनता है– जिम्मेप्रतिवादी

6. अनुतोषः–

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की तनकीवार बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया एवं तनकीवार निर्णय निम्नानुसार पारित किया जाता हैः–

तनकी नंबर–1 वादी के जिम्मे रखी गई, इस तनकी के समर्थन में वादीगण द्वारा जमाबंदी सवंत 2011 से 2029 प्रदर्श–1, जमाबंदी सवंत 2024 से 2022 प्रदर्श–2,जमाबंदी सवंत 2028 से 2031 प्रदर्श–3, जमाबंदी सवंत 2031 से 2034 प्रदर्श–4, जमाबंदी सवंत 2035 से 2038 प्रदर्श–5, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–8,जमाबंदी सवंत 01.07.1989 से 30.06.2009 प्रदर्श–7, जमाबंदी सवंत 2056 से 2059 प्रदर्श–8, जमाबंदी सवंत 2060 से 2063 प्रदर्श–9, जमाबंदी सवंत 2064 से 2067 प्रदर्श–10, जमाबंदी सवंत 2068 से 2071 प्रदर्श–11, जमाबंदी सवंत 2020 से 2023 प्रदर्श–12, जमाबंदी सवंत 2020 से 2023 प्रदर्श–13, जमाबंदी सवंत 2020 से पूर्व की प्रदर्श–14, नामान्तरकरण संख्या 257 प्रदर्श–15, जमाबंदी सवंत 2024 से 2027 प्रदर्श–16, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श–17 तथा मौखित साक्ष्य में साक्ष्य शपथ पत्र द्रोपा कंवर PW–1, जडाव कंवर PW–2 मकनसिह PW–3, बलवंतसिह PW–1, किशोरसिह PW–5 पेश किए है। जमाबंदी प्रदर्श–1 अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 17 व 1244 सोनसिह वल्द नाथूसिह के बखुदकास्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा प्रदर्श–15 नामान्तरकरण अनुसार सोनसिह के फौत होने पर जरिए नामान्तरकरण 257 दिनांक 10.03.1967 से उनके जायंदा लड़के जवारसिह व लक्ष्मणसिह थे तथा जवारसिह भौमसिह के गोद जाने से उनके उतराधिकारी लक्ष्मणसिह के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज हुआ। जमाबंदी प्रदर्श–2,3,4,5 में लक्ष्मणसिह वल्द सोनसिह कौम राजपूत बतौर खातेदार इन्द्राज है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6 अनुसार गत खसरा नबंर 17 के नवीन खसरा नंबर 20 व गत खसरा नंबर 1244 के नवीन खसरा नंबर 1804,1807,1808 व 1809 सृजित हुए तथा प्रदर्श–7 भू–प्रबंध विभाग द्वारा सृजित की गई खतौनी बंदोबस्त में लक्ष्मणसिह वल्द सोनसिह का नाम बतौर खातेदार दर्ज है तथा प्रदर्श–8,9,10,11 में भी इसी अनुसार लक्ष्मणसिह वल्द सोनसिह कौम राजपूत बतौर खातेदार दर्ज है। चूंकि सोनसिह वल्द नाथूसिह के फौत होने पर दिनांक 10.03.67 को नामान्तरकरण खोला गया, जिसमें सोनसिह के एक मात्र पुत्र लक्ष्मणसिह के नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज हुआ तब से लगातार आज तक लक्ष्मणसिह वल्द सोनसिह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण 1967 में खोला गया है, जो हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्व. सोनसिह के एक पुत्र के नाते लक्ष्मणसिह के नाम खोला गया है। उक्त नामान्तरकरण लगभग 50 वर्ष पूर्व खोला गया था, जब सोनसिह की वादीगण जायंदा पुत्रियां थी, तो तत्कालीन समय में चाराजोही करती, लेकिन वादीयागण की ओर से ऐस कोई दस्तावेजी प्रमाण न्यायालय

Scanned by CamScanner

ाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया तथा इतने लम्बे अंतराल के बाद उक्त वाद के जरिए खातेदारी हक प्राप्त करना चाहती है साथ ही वादीया की ओर से अपने कब्जेकाश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण अथवा मौका कमिशनर इत्यादि नियुक्त करवाकर मौके के हालात की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है, केवल सोनसिह की जांयदा पुत्रियां होने के नाते वादग्रस्त आराजी में अब खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिणी नही पाई जाती है। अतएवं यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर–2 यह तनकी वादीगण के जिम्मे रखी गई, परंतु वादीगण ने इस तनकी समर्थन में वादग्रस्त आराजी भूमि में अपने कब्जेकाश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में किसी ने भी वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जेकाश्त पुष्ठि नही की गई है, जब किसी साक्ष्य से वादीगण का वादग्रस्त आराजी में कब्जाकाश्त ही साबित नही होता है, तो बेदखली का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादी 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही पाई जाती है। चूंकि तनकी नंबर 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित हो चुकी है। अतएवं यह तनकी भी वादीगण द्वारा साबित नही की जाने फलस्वरूप वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर–3 यह तनकी प्रतिवादी के जिम्मे रखी गई। चूंकि सोनसिह के देहांत के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 257 दिनांक 10.03.67 को स्वीकार होकर बतौर वारिश के रूप में लक्ष्मणसिह वल्द सोनसिह के नाम राजस्व रेकर्ड इन्द्राज हुए। उक्त नामान्तरकरण लगभग 50 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 2005 में हुए संशोधन के पूर्व होने से वादग्रस्त आराजी में अब कोई कानूनी हक व अधिकार नही रहता है। अतएवं यह तनकी भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर–4 यह तनकी प्रतिवादी के जिम्मे रखी गई। चूंकि सोनसिह की मृत्यु के पश्चात फौतगी का नामान्तरकरण दिनांक 10.03.67 को खोला गया, जिसकी जानकारी वादीगण को थी तथा वादीया द्रोपा कंवर की वर्तमान आयु 79 वर्ष है तथा संवत 2013 में उसकी शादी हुई एवं शादी के 12 महीने बाद पिताजी गुजर जाने का उल्लेख अपने बयानों में किया गया है तथा जडाव कंवर की उम्र 75 वर्ष है तथाा शादी सवत् 2025 में होने का एवं लक्ष्मणसिह की आयु 25 वर्ष एवं अपने विवाह के बाद अपने ससुराल जाने एवं वादग्रस्त आराजी पर लक्ष्मणसिह कास्त करने का उल्लेख अपने बयानों में किया गया है ऐसी स्थिति में वादीगण को सोनसिह के स्वर्गवास होने तथा उसके बाद लक्ष्मणसिह के नाम बतौर वारिशान के रूप में नामान्तरकरण की कार्यवाही की पूर्ण जानकारी थी एवं अब लगभग 50 वर्ष बाद उक्त वादग्रस्त आराजी में खातेदारी हक प्राप्त करने के लिए उक्त वाद प्रस्तुत किया है, जो न्यायोचित नही है अतएवं यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर–5 यह तनकी प्रतिवादी के जिम्मे रखी गई। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्यों के आधार पर वादीगण अपने जिम्मे रखी गई तनकी नंबर 1 व 2 को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रही है। अब स्व. सोनसिह के स्वर्गवास के बाद स्व. लक्ष्मणसिह के हिस्से में वादीगण का हक व अधिकार बनना नही पाया जाता है। अतएवं यह तनकी भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयों के विवेचन एवं निर्णय अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी के 2/3 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने की अधिकारिणी नही पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप वादीगण का उक्त वाद अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादीगण का उक्त वाद बाबत खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। डिक्री परचा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner